



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005

फोन-(022) 6655 3336 / 3147

ईमेल - idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट-www.idbibank.in



IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005

Phone-(022) 6655 3336 / 3147

E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य (सदस्यों),

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2024 को जारी सामान्य परिपत्र सं. 09/2024 और छूटों से संबंधित जारी पिछले परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, साथ ही सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियमावली") के लागू प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा महा सभाओं पर जारी किए गए सचिवीय मानक ("एसएस-2") तथा कोई अन्य लागू कानून, नियमों और विनियमों (वर्तमान में लागू व समय-समय पर यथा-संशोधित किसी भी सांविधिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), भिन्नता(ओं) या पुनरधिनियमन सहित), के संबंध में इस सूचना में नीचे दिए गए विशेष कारोबारों का आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान के जरिए अनुमोदन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते बैंक/निक्षेपागारों (डिपॉजिटरीज) के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों की सहमति या असहमति का सम्प्रेषण रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा।

विशेष कारोबार

मद संख्या 1: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594) की पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(ii) के अनुसार, संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी तथा 35बी के प्रासंगिक प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी नियमावली, दिशा-निर्देशों तथा परिपत्रों, संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 149, 152, 160, 196, 197, 203 तथा अनुसूची V के प्रावधानों को, उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों तथा विनियमन 17(1सी) तथा सेबी सूचीबद्धता की विनियमावली के अन्य लागू प्रावधानों तथा किसी अन्य लागू कानूनों (वर्तमान में लागू व समय-समय पर यथा-संशोधित किसी भी सांविधिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), भिन्नता(ओं) या पुनरधिनियमन सहित) के साथ पठित और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार, बैंक के सदस्यों के अनुमोदन से श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594) को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) के रूप में पुनर्नियुक्ति किया जाता है, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, 19 मार्च 2025 से शुरू होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए जैसा कि आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 22 जनवरी 2025 और बैंक के निदेशक मंडल ने 23 जनवरी 2025 को अनुमोदित किया है, पारिश्रमिक सहित ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा कि डाक मतपत्र सूचना के इस संकल्प के व्याख्यात्मक बयान में निर्धारित किया गया है।

"इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल (विधिवत गठित एनआरसी सहित) को श्री राकेश शर्मा को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान समय-समय पर देय या भुगतान की जाने वाली निश्चित और कार्य-निष्पादन आधारित परिवर्ती भुगतान और परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक की राशि को बदलने, आशोधित करने, परिवर्तन करने या बढ़ाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जैसा कि आरबीआई के

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and the previous circulars related to relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) applicable in this regard ("MCA Circulars"), applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force, and as amended from time to time), the special businesses given below in this notice is proposed for approval of the members of IDBI Bank Ltd. to be transacted through Postal Ballot only by way of voting through electronic means.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, this Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Bank/Depositories. The communication of assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting system.

Special Business

Item No.1 : Re-Appointment of Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594) as Managing Director & Chief Executive Officer (MD&CEO)

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Article 116(1)(ii) of the Articles of Association of the Bank, relevant provisions of Section 10B and 35B and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949, as amended and the rules, guidelines and circulars as issued by the Reserve Bank of India (RBI) in this regard, from time to time, provisions of Sections 149, 152, 160, 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 (the act) as amended, read with the relevant rules made thereunder and Regulation 17(1C) and other applicable provisions of the SEBI Listing Regulations and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and pursuant to recommendation by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors of the Bank, approval of members of the Bank, be and is hereby accorded to the re-appointment of Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594) as Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) of the Bank, not liable to retire by rotation, for a period of three years commencing from March 19, 2025 as approved by the RBI vide their letter dated January 22, 2025 and by the Board of Directors of the Bank on January 23, 2025, on such terms and conditions including remuneration as set out in the explanatory statement to this resolution of the Postal Ballot Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Bank (including duly constituted NRC), be and is hereby authorized to alter, modify, vary or increase the amount of remuneration including fixed and performance-based variable pay and perquisites, payable or to be paid to Shri Rakesh Sharma, from time to time, during his tenure as a MD & CEO of the Bank, as may be considered appropriate subject to compliance with the provisions of the RBI Guidelines, Compensation

दिशानिर्देशों, बैंक की क्षतिपूर्ति नीति और कंपनी अधिनियम एवं सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन उचित माना जाए और जैसा कि आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाए.”

“इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों, जैसा आवश्यक समझा जाए, को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के साथ अपेक्षित प्रपत्र या आवेदन दाखिल करने और ऐसे सभी कार्या, विलेखों, मामलों और चीजों की करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उपयुक्त समझा जाए.”

मद संख्या 2: नामिती निदेशक के रूप में श्री सतपाल भानू (डीआईएन: 10482731) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

इसके अतिरिक्त यह भी “संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 160, 161 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ अनुच्छेद 116(1) (iv) और (vii) के अनुपालन में, इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ, पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधान और कोई अन्य लागू कानून (वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नो), आशोधन(नो), परिवर्तन(नो) या पुनः अधिनियमन(नो) सहित) तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, बैंक के सदस्यों का अनुमोदन श्री सतपाल भानू (डीआईएन: 10482731) को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो 10 फरवरी 2025 से बैंक के बोर्ड में एलआईसी नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे.

“इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों, जैसा आवश्यक समझा जाए, को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के साथ अपेक्षित प्रपत्र या आवेदन दाखिल करने और ऐसे सभी कार्या, विलेखों, मामलों और चीजों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उपयुक्त समझा जाए.”

मद संख्या 3: नामिती निदेशक के रूप में श्री आर. दोरईस्वामी (डीआईएन: 10358884) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि अनुच्छेद 116(1) (iv) और (vii) के अनुपालन में और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 160, 161 और उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पठित धारा 10 ए और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमावली, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू कानून (वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नो), आशोधन(नो), परिवर्तन(नो) या पुनः अधिनियमन(नो) सहित) और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) तथा बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर बैंक के सदस्यों के अनुमोदन से श्री आर. दोरईस्वामी (डीआईएन: 10358884) को निदेशक के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया गया है जो 19 मई 2025 से बैंक के बोर्ड में एलआईसी नामित निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन द्वारा सेवा निवृत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे.”

“इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों, जैसा आवश्यक समझा जाए, को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के साथ अपेक्षित प्रपत्र या आवेदन दाखिल

Policy of the Bank and the provisions of the Companies Act & SEBI Listing Regulations and as may be approved by the RBI.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution.”

Item No. 2 : Appointment of Shri Sat Pal Bhanoo (DIN: 10482731) as Nominee Director

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (iv) & (vii) read with Sections 149, 152, 160, 161 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors of the Bank, approval of members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Sat Pal Bhanoo (DIN: 10482731) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. February 10, 2025.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution.”

Item No. 3 : Appointment of Shri R. Doraiswamy (DIN: 10358884) as Nominee Director

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (iv) & (vii) read with 149, 152, 160, 161 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors of the Bank, approval of members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri R. Doraiswamy (DIN: 10358884) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. May 19, 2025.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities

करने और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और समझा जाए."

**बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

**ज्योति बीजू नायर
कंपनी सचिव
सदस्यता सं : ए 20554**

**स्थान: मुंबई
दिनांक: 04 अप्रैल, 2025**

**पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.**

टिप्पणियां:

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट विशेष कारोबार के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- एमसीए परिपत्रों के अनुसार, बैंक यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज रहा है। तदनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति का संप्रेषण रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगा।
- यह डाक मतपत्र सूचना केवल बैंक के ऐसे सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से शुक्रवार, 04 दिसंबर 2025 की कट-ऑफ तारीख को प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में हैं। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें इस डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। डाक मतपत्र सूचना उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, जिन्होंने डिपॉजिटरीज तथा आरटीए के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत कराए हैं। यह बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिटेक/ आरटीए) की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कट ऑफ तारीख तक कंपनी के सभी सदस्य (उन सदस्यों सहित जिन्हें आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत न होने के कारण यह नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है) इस नोटिस में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उपर्युक्त संकल्पों के संबंध में मतदान करने के हकदार होंगे।
- कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियम) के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 और संबंधित एमसीए परिपत्रों के अनुसार, इस डाक मतपत्र सूचना में निहित विशेष कारोबारों की मद को पोस्टल बैलेट - रिमोट ई-वोटिंग द्वारा ही पारित किया जाना है।
- सदस्यों के वोटिंग अधिकार 04 अप्रैल 2025 की कट-ऑफ तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम (बी. आर. एक्ट), 1949 की धारा 12(2) के अनुसार प्रदान किए गए वोटिंग कैप प्रतिबंधों के अधीन होंगे।
- बैंक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने मतदान करने की इच्छा रखने वाले सदस्यों के लिए केफिटेक की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 09 अप्रैल 2025 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से शुरू होगी और गुरुवार, 08 मई 2025 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बंद कर दी जाएगी। इस अवधि के

and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

**By Order of the Board
For IDBI Bank Limited**

**Jyothi Biju Nair
Company Secretary
Membership No. : A20554**

**Place: Mumbai
Date : April 04, 2025**

**Registered Office:
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005.**

NOTES:

- The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the special businesses specified in the Postal Ballot Notice is annexed hereto.
- In accordance with the MCA Circulars, the Bank is sending this Postal Ballot Notice in electronic form only. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.
- The Postal Ballot Notice is being sent via email only to the Members of the Bank, whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners, as received from Registrar and Transfer Agent (RTA), National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on Friday, April 04, 2025, the cut-off date. Any person, who is not a Member as on the cut-off date, should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only. The Postal Ballot Notice is sent electronically to all the shareholders who have registered their email addresses with the Depositories and RTA. The same will also be available on the Bank's website www.idbibank.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited (Kfintech/RTA) at <https://evoting.kfintech.com>. It is however clarified that, all Members of the Company as on the cut-off date (including those Members who may not have received this Notice due to non-registration of their email addresses with the RTA/Depositories) shall be entitled to vote in relation to the aforementioned Resolutions in accordance with the process specified in this Notice.
- In terms of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and the relevant MCA Circulars, the Item of Special Business set out in this Postal Ballot Notice is sought to be passed by Postal Ballot – remote e-voting only.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of Friday, April 04, 2025, subject to voting cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- The Bank is providing Kfintech's e-voting facility to enable those Members who wish to cast their votes electronically. **The e-voting period commences on Wednesday, April 09, 2025 at 9 a.m (IST) and ends on Thursday, May 08, 2025 at 5.00 p.m. (IST).** During this period, Members of the Bank holding shares in

दौरान, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य निर्दिष्ट तारीख तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। सदस्यों द्वारा संकल्प पर एक बार अपना मतदान किए जाने के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- इस डाक मतपत्र में कोई सदस्य परोक्षी द्वारा अपना मत नहीं दे सकते।
- बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र मतदान संचालित करने के लिए प्रैक्टिसरत कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की सुश्री अपर्णा गाडगिल को और उनकी अनुपस्थिति में श्री विश्वनाथन एन. एस. को संवीक्षक नियुक्त किया है।
- डाक मतपत्र के परिणाम एमडी एवं सीईओ द्वारा शनिवार, दिनांक 10 मई 2025 को या उससे पहले घोषित कर दिए जाएंगे तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार केफ़िटेक की वेबसाइट <https://evoting.Kfintech.com> पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- संकल्प यदि अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है तो इसे गुरुवार, 08 मई 2025 को पारित माना जाएगा जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख है।

क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश:

1. वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ हैं

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति होगी। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खाते में मोबाइल नंबर और ईमेल पते अद्यतन करें।

डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयर धारकों के लिए लॉगिन पद्धति, जैसाकि डिपॉजिटरियों द्वारा तैयार की गई है, नीचे दी जा रही है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>1. यूजर जो एनएसडीएल की IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं :</p> <p>i. ब्राउज़र में टाइप करें/ई-सर्विस लिंक पर क्लिक करें: https:// eservices.nsd.com</p> <p>ii. 'IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत 'Beneficial Owner' आइकॉन पर क्लिक करें।</p> <p>iii. एक नया पेज खुलेगा. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद 'Value Added Services' के अंतर्गत 'Access to e-Voting' पर क्लिक करें</p> <p>iv. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles' ऑप्शन पर क्लिक करें.</p> <p>v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता (केफ़िटेक) पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात् केफ़िटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते हैं।</p>	<p>1. यूजर जो सीडीएसएल की Easi/Easiest सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं :</p> <p>i. ब्राउज़र में टाइप करें/निम्नलिखित में से किसी भी लिंक पर क्लिक करें: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com</p> <p>ii. New System Myeasi पर क्लिक करें / Quick Login के अंतर्गत My Easi विकल्प से लॉगिन करें.</p> <p>iii. Easi/Easiest एक्सेस के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.</p> <p>iv. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफ़िटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत देने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात् केफ़िटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते हैं।</p>

physical or electronic form as on the cut-off date may cast their vote electronically. Once the vote on the Resolutions is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

- A member cannot exercise his vote by proxy in this postal ballot.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil and in her absence Mr. S. N. Viswanathan of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by MD & CEO on or before Saturday, May 10, 2025 and will be displayed on the Bank's website at www.idbibank.in and shall also be displayed on the website of Kfintech at <https://evoting.Kfintech.com> in terms of Rules 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and the same shall be communicated to the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed. The results shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company.
- The resolutions, if approved by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on Thursday, May 08, 2025 i.e., the last date specified for remote e-voting.



a) **PROCEDURE AND INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING:**

1. FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SECURITIES IN DEMAT

In terms of the SEBI circular dated 9th December, 2020 on e-voting facility provided by listed companies, Individual shareholders holding shares of the Bank in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Login method for Individual shareholders holding shares in demat mode, as devised by the Depositories, is given below:

NSDL	CDSL
<p>1. User already registered for IDeAS facility of NSDL:</p> <p>i. Type in the browser / click on the e-Services link: https:// eservices.nsd.com</p> <p>ii. Click on the 'Beneficial Owner' icon under 'IDeAS' section.</p> <p>iii. A new page will open. Enter your User ID and Password. P o s t s u c c e s s f u l authentication, click on 'Access to e-Voting' under 'Value Added Services'.</p> <p>iv. Click on 'Active E-Voting Cycles' option under e-Voting.</p> <p>v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider (Kfintech) and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.</p>	<p>1. User already registered for Easi/Easiest facility of CDSL:</p> <p>i. Type in the browser / click on any of the following links: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com</p> <p>ii. Click on New System Myeasi / Login to My Easi option under Quick Login.</p> <p>iii. Enter your User ID and Password for accessing Easi / Easiest.</p> <p>iv. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.</p>

एनएसडीएल	सीडीएसएल	NSDL	CDSL
<p>2. यूजर जो एनएसडीएल की IDeAS ई-सर्विस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं :</p> <p>i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित कोई भी ई-सर्विस लिंक टाइप करें/ किसी भी पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>ii. 'Register Online for IDeAS' सिलेक्ट करें.</p> <p>iii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें.</p> <p>iv. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.</p>	<p>2. यूजर जो सीडीएसएल की आईडीईएस Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं :</p> <p>i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित टाइप करें/ इस लिंक पर क्लिक करें : https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>ii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें.</p> <p>iii. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.</p>	<p>2. User not registered for IDeAS e-Services facility of NSDL:</p> <p>i. To register type in the browser /click on, any of the following e-Service link: https://eservices.nsdl.com or https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>ii. Select 'Register Online for IDeAS'</p> <p>iii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details.</p> <p>iv. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.</p>	<p>2. User not registered for Easi/Easiest facility of CDSL:</p> <p>i. To register type in the browser /click on the following link: https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>ii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details.</p> <p>iii. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.</p>
<p>3. विकल्प के तौर पर, यूजर सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं :</p> <p>i. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इस पर क्लिक करें : https://www.evoting.nsdl.com/</p> <p>ii. 'Shareholder/Member' खंड में उपलब्ध 'Login' आइकॉन पर क्लिक करें.</p> <p>iii. यूजर आईडी (अर्थात IN के साथ शुरू होने वाले एनएसडीएल के पास धारित 16 अंकीय डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करें.</p> <p>iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल वेबसाइट के ई-वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे.</p> <p>v. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' विकल्प पर क्लिक करें. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता (केफिंटेक) पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफिंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते हैं.</p>	<p>3. विकल्प के तौर पर, यूजर सीधे सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं :</p> <p>i. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इस पर क्लिक करें : www.cdslindia.com.</p> <p>ii. E-Voting पर क्लिक करें तथा अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन दर्ज करें.</p> <p>iii. सिस्टम डीमैट खाते में उपलब्ध कराए गए अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर को अधिप्रमाणित करेगा.</p> <p>iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप सीएसडीएल के ई-वोटिंग मॉड्यूल को दर्ज करेंगे.</p> <p>v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता (केफिंटेक) पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफिंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते हैं.</p>	<p>3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of NSDL:</p> <p>i. Type in the browser /click on the following link: www.evoting.nsdl.com</p> <p>ii. Click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholder/Member' section.</p> <p>iii. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL starting with IN), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>iv. Post successful authentication, you will be redirected to e-Voting page on NSDL website.</p> <p>v. Click on 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' option under e-Voting. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.</p>	<p>3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of CDSL:</p> <p>i. Type in the browser /click on the following link: www.cdslindia.com.</p> <p>ii. Click on E-Voting and enter your DP ID & Client ID and PAN.</p> <p>iii. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.</p> <p>iv. After successful authentication, you will enter e-voting module of CDSL.</p> <p>v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.</p>
<p>4. शेयरधारकों/सदस्यों निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं.</p> <p>NSDL Mobile App is available on</p> <p>App Store Google Play</p> 		<p>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <p>NSDL Mobile App is available on</p> <p>App Store Google Play</p> 	

शेयरधारक जो यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव करने में असमर्थ हैं उनको सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध **Forgot User ID और Forgot Password विकल्प** का उपयोग करें.

एनएसडीएल से संपर्क करने के ब्योरे – शेयरधारकों को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने के मामले में: लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या होने के मामले में, सदस्य अपना अनुरोध evoting@nsdl.co.in पर भेज कर या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 या 1800 22 44 30 पर कॉल कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं.

सीडीएसएल से संपर्क करने के ब्योरे – शेयरधारकों को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने के मामले में: लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या होने के मामले में, सदस्य अपना अनुरोध helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजकर या 022- 23058738 अथवा 022- 23058542-43 पर कॉल कर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं.

Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use **Forgot User ID and Forgot Password option** available at above mentioned websites.

Contact details of NSDL – In case shareholders face any technical issue:
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

Contact details of CDSL – In case shareholders face any technical issue :
Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022- 23058542-43.

अपने डीमैट खाते/ डिपॉजिटरी सहभागियों के वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने के लिए वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट रूप में प्रतिभूति रखने वाले) हेतु प्रक्रिया

- आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं.
- सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे. एक बार e-voting विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद आप एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आपको ई-वोटिंग फीचर दिखाई पड़ेगा.
- बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

II. गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी गई है :

यदि शेयरधारक आईडीबीआई बैंक/ केफ़िटेक से ईमेल प्राप्त करता है [उन शेयरधारकों के लिए जिनके ईमेल पते आरटीए/ डिपॉजिटरी सहभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं] :

- यूआरएल : [https:// evoting.kfintech.com](https://evoting.kfintech.com) टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउजर लांच करें.
- ईमेल पत्राचार में उल्लेख किए गए अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल (अर्थात् यूजर- आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें. ई-वोटिंग इवेंट नंबर और आपका फोलियो नंबर या आपका डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी आपका यूजर-आईडी होगा.

यूजर-आईडी : डीमैट रूप में शेयर रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए :

एनएसडीएल के लिए : IN से शुरू 8 कैरेक्टर वाला डीपी आईडी तथा उसके बाद 8 अंकीय क्लाइंट आईडी.

सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी.

यूजर-आईडी : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए :

ईवेन नंबर तथा उसके बाद आईडीबीआई बैंक / आरटीए के पास पंजीकृत फोलियो नंबर.

पासवर्ड : आपका यूनिक पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक नोटिस के साथ ईमेल द्वारा भेजा जाता है.

कैप्चा : कृपया सत्यापन कोड अर्थात् सुरक्षा कारणों से अक्षर और संख्याएं ठीक उसी रूप में दर्ज करें, जैसा कि वे प्रदर्शित की गई हैं.

- उपयुक्त रूप से ये ब्योरे दर्ज करने के बाद 'LOGIN' पर क्लिक करें.
- यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो अब आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंचेंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड चेंज करना होगा. नया पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z) एक न्यूमेरिक वैल्यू (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर (@, #, \$, आदि) होंगे. पहली बार लॉगिन करने पर सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने तथा अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जैसे ब्योरे अपडेट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.

Procedure for Individual Shareholders (holding securities in demat mode) to login through their demat accounts / website of their Depository Participants

- You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility.
- After successful login, you will be able to see e-voting option. Once you click on e-voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL depository site after successful authentication, wherein you can see e-voting feature.
- Click on the Bank's name or e-voting service provider's name and you will be redirected to e-voting service provider's website for casting your vote during the remote e-voting period without any further authentication.

II. FOR NON-INDIVIDUAL SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM

Login method for non-individual shareholders and shareholders holding shares in physical form are given below:

In case a shareholder receives an e-mail from IDBI Bank / Kfintech [for shareholders whose e-mail addresses are registered with the RTA/ Depository Participant(s)]:

- Launch internet browser by typing the URL <https://evoting.kfintech.com>.
- Enter the login credentials (i.e., user-id and password) mentioned in the email communication. The e-Voting Event Number and your Folio Number or your DP ID - Client ID will be your User- ID.

User – ID: For non-individual shareholders holding shares in Demat form:

For NSDL: 8 Character DP ID starting with IN followed by 8 Digits Client ID.

For CDSL: 16 digits beneficiary ID.

User - ID: For shareholders holding shares in Physical Form:

EVEN number followed by Folio No. registered with IDBI Bank / RTA.

Password: Your unique password is sent via e-mail forwarded through the electronic notice.

Captcha: Please enter the verification code i.e. the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

- After entering these details appropriately, Click on 'LOGIN'.
- If you are logging in for the first time, you will now reach password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, \$, etc.). The system will prompt you to change your password and update your contact details like mobile number, email ID, etc. on first login.

पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में उसे फिर से रिट्रीव करने के लिए आप अपने पासवर्ड के गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते हैं। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

- v. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करने की जरूरत है।
- vi. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद सिस्टम आपको ई-वोटिंग इवेंट नंबर 'EVEN', अर्थात् IDBI Bank चुनने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा।
- vii. मतदान पृष्ठ पर आप संकल्प संबंधी विवरण देख पाएंगे और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' विकल्प रहेगा। 'FOR / AGAINST' के अंतर्गत यथा कट ऑफ तारीख को शेयरों की संख्या (जो आपके मतदान की संख्या प्रदर्शित करता है) दर्ज करें या विकल्प के तौर पर आप 'FOR' के लिए आंशिक रूप से कोई भी नंबर और 'AGAINST' के लिए आंशिक रूप से कोई भी नंबर दर्ज सकते हैं। लेकिन 'FOR / AGAINST' के लिए कुल संख्या मिल कर कट ऑफ तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि शेयरधारक 'FOR' या 'AGAINST' में से कोई भी नहीं चुनते हैं तो इसे 'ABSTAIN' माना जाएगा और धारित शेयरों को दोनों में से किसी भी हेड के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।
- viii. एकाधिक फोलियो/ डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया को चुनेंगे।
- ix. इसके बाद आप उपयुक्त विकल्प चुन कर अपना वोट दें तथा 'Submit' पर क्लिक करें।
- x. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें या आशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मतदान में आशोधन की अनुमति नहीं होगी। मतदान अवधि के दौरान, संकल्प(पों) पर वोट करने से पहले तक शेयरधारक कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं।

कट ऑफ तारीख को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले कोई व्यक्ति और गैर-व्यक्ति सदस्य evoting@Kfintech.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफ़िटेक के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं/कर सकती हैं।

अपना मतदान करने के लिए II (i) से (x) में दिए गए अनुदेश का अनुसरण करें।

III. संकल्पों पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों को सामान्य अनुदेश/जानकारी:

- i. कॉर्पोरेट/ संस्थागत सदस्यों (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की सत्यापित स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति einward.ris@Kfintech.com और idbiequity@idbi.co.in को भेजें। संस्थागत शेयरधारक अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित 'बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र अपलोड करें' पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
- ii. किसी प्रकार की पृष्ठताछ के मामले में कृपया 'Downloads' खंड में डाउनलोड मेनू के माध्यम से उपलब्ध 'Help' और 'Frequently Asked Questions' (FAQs) खंड/E-voting user manual देखें जो आरटीए की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत को श्री एस. वी. राजू, उप उपाध्यक्ष को ईमेल आईडी einward.ris@Kfintech.com या evoting@Kfintech.com को भेज सकते हैं।
- iii. डाक मतपत्र की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं है:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल द्वारा idbiequity@idbi.co.in पर भेजें।
2. यदि शेयर डिमैट रूप में धारित है तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी),

You may also enter a secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forgot it. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and that you take utmost care to keep your password confidential.

- v. You need to login again with the new credentials.
- vi. On successful login, the system will prompt you to select the E-Voting Event Number 'EVEN' i.e., IDBI Bank.
- vii. On the voting page you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents the number of votes) as on the cut-off date under 'FOR / AGAINST' or alternatively, you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST' but the total number in 'FOR / AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN'. If the shareholder does not indicate either 'FOR' or 'AGAINST' it will be treated as 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- viii. Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folios / demat accounts.
- ix. You may then cast your vote by selecting an appropriate option and click on 'Submit'.
- x. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution(s).

Any person holding shares in physical form and non-individual members as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@Kfintech.com. However, if he / she is already registered with Kfintech for remote e-voting then he /she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

Follow the instructions at II (i) to (x) to cast your vote.

III. GENERAL INSTRUCTIONS / INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR VOTING ON THE RESOLUTIONS:

- i. Corporate/Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/Authority Letter etc., to the Scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to einward.ris@Kfintech.com and idbiequity@idbi.co.in. Institutional shareholders can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter, etc. by clicking on 'Upload Board Resolution / Authority Letter' displayed under "e-voting" tab in their login.
- ii. In case of any queries, please visit 'Help' and 'Frequently Asked Questions' (FAQs) section / E- voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section available at RTA's website <https://evoting.kfintech.com> or call at toll free no. 1800 309 4001. Any grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. S V Raju, Deputy Vice President, at e-mail id: einward.ris@Kfintech.com or evoting@Kfintech.com.
- iii. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name,

नाम, ग्राहक मास्टर सूची अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें। यदि आप डिमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप उपर्युक्त टेबल में बताई पद्धति से लॉगिन करें।

- विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2), जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए einward.ris@Kfintech.com पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं।

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

- दिनांक 07 मई 2024 के सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पीसीआईआर/2024/37 और दिनांक 10 जून 2024 के सेबी /एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पीसीआईआर /2024/81 के अनुसार भौतिक फोलियो के संबंध में पैन, केवाईसी विवरण (ईमेल, मोबाइल नंबर, नमूना हस्ताक्षर और बैंक खाता विवरण सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया सुनिश्चित करें कि ये विवरण रजिस्ट्रार के पास अद्यतित हों ताकि निर्बाध सेवा अनुरोध और बैंक खाते में लाभांश जमा का लाभ प्राप्त किया जा सके।

उपर्युक्त को देखते हुए, 01 अप्रैल 2024 से भौतिक शेयर प्रमाणपत्र रखने वाले शेयरधारकों को भौतिक लाभांश वारंट जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए, कृपया आरटीए को सक्षम करने के लिए केवाईसी विवरण अद्यतन करना सुनिश्चित करें ताकि लंबित (यदि कोई हो) / घोषित (भविष्य में) लाभांश राशि सीधे बचत खाते में जमा की जा सके जो फोलियो में पंजीकृत है।

- अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त विवरणों को अद्यतन करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।
- भौतिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, वे <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> पर उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज अर्थात **फॉर्म आईएसआर-1, फॉर्म आईएसआर-2, फॉर्म एसएच-13, फॉर्म आईएसआर-3** को नीचे दिए गए पते पर आरटीए को प्रस्तुत करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक),

इकाई आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, गच्चीबौली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद- 500032

[टोल फ्री नंबर 1800-309-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com]

बैंक के रजिस्ट्रार को उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद कृपया लाभांश जारी करने के लिए बैंक को उसकी ईमेल आईडी - idbiequity@idbi.co.in पर सूचित करें।

- डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित पते पर आरटीए को अद्यतन क्लाइंट मास्टर सूची प्रस्तुत करें।
- सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयरों को डीमैट रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शेयरधारक/(कों), जिन्होंने अपने शेयर भौतिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिताओं को भौतिक रूप से डीमैट रूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें।

डाक मतपत्र सूचना में दिए गए विशेष कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1:

श्री राकेश शर्मा (DIN: 06846594) को 19 मार्च 2022 से तीन वर्षों की अवधि के लिए एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया और उनका अनुमोदित कार्यकाल 18 मार्च 2025 को समाप्त हुआ। एनआरसी और बोर्ड ने अपनी-अपनी बैठकों में आरबीआई से अनुमोदन के लिए श्री राकेश शर्मा को तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त करने की सिफारिश की, जिसमें कहा गया कि श्री शर्मा ने बैंक को पीसीए से बाहर लाने में

client master list or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained in table above.

- Alternatively member may send an e-mail request to einward.ris@kfintech.com for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

- Pursuant to the SEBI master circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 and SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 dated June 10, 2024 it is mandatory to furnish PAN, KYC Details (including email, mobile number, specimen signature and bank account details) in respect of physical folios. Kindly ensure these details are updated with registrar to avail uninterrupted service request and dividend credit in bank account.

In view of the above, from 1st April 2024 onwards, physical dividend warrants will not be issued to shareholders holding physical share certificate. Hence, kindly ensure to update the KYC details for enabling RTA to credit the dividend amount pending (if any) / declared (in future) directly to saving account which is registered in the folio.

- Members holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants for updating above mentioned details.
- Physical Shareholders who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023 and FY 2023-2024 are requested to submit the KYC documents viz **Form ISR-1, Form ISR-2, Form SH-13, Form ISR-3 available at** <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> to the RTA at the address provided below:

KFin Technologies Limited (KFinTech),

Unit IDBI Bank Ltd, Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032

[Toll Free No.1800-309-4001, Email: einward.ris@kfintech.com]

After submission of above documents to the Registrar of the Bank kindly intimate the same to the Bank at its email id idbiequity@idbi.co.in for release of dividend.

- Shareholders holding shares in demat mode who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023 and FY 2023-2024 are requested to submit the updated Client Master list to the RTA at the address mentioned above.
- SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

Explanatory Statements under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the Special Businesses given in the Postal Ballot Notice

Item No. 1:

Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594) was re-appointed as MD & CEO for a period of three years w.e.f. March 19, 2022 and his approved tenure ended on March 18, 2025. The NRC and Board at their respective meetings recommended the re-appointment of Shri Rakesh Sharma as MD & CEO for another term of three years RBI for approval stating that Shri Sharma has done a commendable job in bringing the Bank out of PCA and steadily improved its overall

सराहनीय काम किया है और अपने कार्यकाल के दौरान बैंक की समग्र वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार किया है. बैंक की बाह्य रेटिंग में भी सुधार हुआ है और निजी क्षेत्र के बैंकों के समकक्षों के बराबर बैंक कई मापदंडों पर भी सुधार कर रहा है.

श्री शर्मा ने कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली और आरबीआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रासंगिक प्रकटनों के साथ एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दी है. इसके अतिरिक्त, एमडी और सीईओ के रूप में श्री शर्मा की पुनर्नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, आरबीआई दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है.

तदनुसार, एनआरसी और बोर्ड की सिफारिश के आधार पर श्री राकेश शर्मा को 19 मार्च 2025 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त के लिए आरबीआई को अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया था. दिनांक 22 जनवरी 2025 को आरबीआई द्वारा प्राप्त अनुमोदन पर, निदेशक मंडल ने बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन 19 मार्च 2025 से तीन वर्षों की अवधि के लिए श्री शर्मा की पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित किया.

श्री राकेश शर्मा के लिए 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई द्वारा अनुमोदित कुल निश्चित पारिश्रमिक ₹ 2,22,25,272/- प्रति वर्ष है, जिसमें भविष्य निधि, उपदान, अवकाश किराया रियायत, मनोरंजन व्यय, निःशुल्क आवास और अन्य परिलब्धियाँ शामिल हैं. श्री शर्मा, जैसा कि एनआरसी और बोर्ड द्वारा अनुशंसा पर परिवर्ती देय के भी पात्र होंगे जो उनके और बैंक के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन पर आरबीआई द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा.

बैंक के डब्ल्यूटीडी के निश्चित और परिवर्ती पारिश्रमिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एनआरसी और बोर्ड द्वारा अनुशंसित आधार पर वार्षिक रूप से आरबीआई से इस संबंध में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार होगा. अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे एनआरसी/बोर्ड को प्रत्येक वर्ष डब्ल्यूटीडी के पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत करें, जो आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होगा.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

श्री राकेश शर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री राकेश शर्मा एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्होंने विभिन्न बैंकों में 40 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है. इन्होंने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से की और एसबीआई में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया जिसमें एसबीआई के विशेषीकृत शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के साथ ऋण समनुदेशन, एसबीआई के टोक्यो शाखा में 4 वर्षों तक कार्य किया, एसबीआई के कोर्पोरेट सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बैंकिंग परिचालन, दिल्ली केंद्र के मानव संसाधन में अध्यक्ष, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुदरा परिचालन, अविभाजित आंध्र प्रदेश में मध्य कॉर्पोरेट समूह के अध्यक्ष, इसके बाद, बिहार और झारखंड राज्यों में परिचालन वाले पटना केंद्र के मु.म.प्र. पद शामिल है. इसके बाद उन्होंने एसबीआई में मु.म.प्र. के पद से लक्ष्मी विलास बैंक लि. में एमडी एवं सीईओ के रूप में 07 मार्च 2014 से 09 सितंबर 2015 तक अपनी सेवा दी. उसके बाद उन्होंने 11 सितंबर 2015 को केनरा बैंक में एमडी एवं सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया और 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के पश्चात 31 जुलाई 2018 को केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए. केनरा बैंक में सेवाकाल के दौरान वे केनरा बैंक के ग्रुप कंपनीज़ में अध्यक्ष का पद भी संभाला. उसके बाद वे 10 अक्टूबर 2018 से अब तक आईडीबीआई बैंक में एमडी एवं सीईओ का पदभार संभाले हुए हैं.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 1 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (श्री राकेश शर्मा स्वयं एवं अपने संबंधियों को छोड़कर) या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, संबंधित या रुचि रखने वाला हो, वित्तीय या अन्यथा हो, उक्त संकल्प को पारित करने में उनकी मौजूदा शेयर धारिता यदि कोई हो के अतिरिक्त, बैंक में न हो. श्री राकेश शर्मा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य केएमपी या निदेशक से संबंधित नहीं है.

मद संख्या 2:

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 20 जनवरी 2025 के पत्र के संदर्भ में एलआईसी के प्रबंध निदेशक श्री सत पाल भानू को 10 फरवरी 2025 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में एलआईसी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया था. तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(3) के अनुसार श्री सत पाल भानू (डीआईएन: 10482731) को 10 फरवरी 2025 से तीन

financials in a calibrated manner during his tenure. The external Rating of the Bank has also improved and the Bank is also improving on many parameters at par with its peers among Private Sector Banks.

Shri Sharma has given his consent for re-appointment as MD & CEO along with relevant disclosures under the Companies Act, 2013, SEBI Listing Regulations and RBI guidelines. Further, the re-appointment of Shri Sharma as MD & CEO is in compliance with the applicable provisions of Banking Regulation Act, 1949, RBI Guidelines, Companies Act, 2013 and SEBI Listing Regulations.

Accordingly, the Application in the prescribed form was submitted to the RBI for approval based on the recommendation of NRC and Board for re-appointment of Shri Rakesh Sharma as MD & CEO of the Bank for a period of three years w.e.f. March 19, 2025. On receipt of the RBI approval dated January 22, 2025, Board of Directors approved the re-appointment of Shri Sharma for a period of three years w.e.f. March 19, 2025, subject to approval of the members of the Bank.

The total fixed remuneration for Shri Rakesh Sharma, as approved by the RBI, is ₹ 2,22,25,272/- per annum w.e.f. April 1, 2025 which includes Provident Fund, Gratuity, Leave Fare Concession, Entertainment Expenses, Free accommodation and other perquisites. Shri Sharma will also be eligible for variable pay as recommended by the NRC and Board based on his performance assessment and that of the Bank and subject to approval of the RBI.

The fixed and variable remuneration of WTDs of the Bank, for each financial year, would be as per approval received in this regard from the RBI annually based on the recommendation of NRC and approval of the Board. Hence the members are requested to authorize NRC/Board to approve remuneration of WTDs every year, subject to approval of the RBI.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations has been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Rakesh Sharma is provided hereinafter:

Shri Rakesh Sharma is a seasoned banker with a total stint of over 40 years in various Banks. He started his banking career in State Bank of India (SBI) and held various responsibilities in SBI including credit assignments in specialized branches and administrative offices of SBI, working at Tokyo Branch of SBI for 4 years, banking operations in International banking group at Corporate Center of SBI, Head of HR in Delhi circle, retail operations in the state of Rajasthan, Uttarakhand and Western UP, Head of Mid Corporate group in Undivided Andhra Pradesh and then CGM of Patna Circle comprising operations in Bihar and Jharkhand states. He then moved from the position of Chief General Manager in SBI to Lakshmi Vilas Bank Ltd. as MD & CEO and served there from March 07, 2014 till September 09, 2015. He joined Canara Bank as MD & CEO on September 11, 2015 and retired from Canara Bank as MD & CEO after serving for a period of 3 years till July 31, 2018. While in Canara Bank he also held the position of Chairman in the group companies of Canara Bank. He then joined IDBI Bank as MD & CEO w.e.f. October 10, 2018 and continues to be the MD & CEO.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at item No. 1 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Rakesh Sharma himself and his relatives) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Rakesh Sharma is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Item No. 2:

Life Insurance Corporation of India (LIC) had, vide letter dated January 20, 2025 nominated Shri Sat Pal Bhanoo, Managing Director of LIC as

वर्षों की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में एलआईसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री भानू ने कंपनी अधिनियम 2013, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली और आरबीआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक प्रकटनों के साथ बैंक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है. इसके अतिरिक्त, बैंक में श्री भानू की नियुक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, आरबीआई दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के साथ पठित अनुच्छेद 116(1) (vii) के अनुपालन में, श्री भानू को बोर्ड में एलआईसी नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है.

श्री सत पाल भानू को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क एलआईसी के खाते में तब तक जमा की जाएगी जब तक श्री सत पाल भानू एलआईसी में कार्यरत रहेंगे, तत्पश्चात प्रत्यक्ष रूप से उनके खाते में जमा किया जाएगा. श्री सत पाल भानू को बैठक शुल्क के अलावा यात्रा, ठहरने की व्यवस्था और परिवहन पर हुए व्यय को बैंक द्वारा उपगत किया जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रमिक देय नहीं होगा.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

श्री सत पाल भानू का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:

श्री सत पाल भानू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. वे अक्टूबर 1988 में विशेष क्षेत्रीय सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल हुए. उन्होंने निगम में अंचल प्रबंधक (मध्य क्षेत्र), अतिरिक्त निदेशक, अंचल प्रशिक्षण केंद्र (भोपाल), क्षेत्रीय प्रबंधक (पी एंड आईआर), उत्तर अंचल (दिल्ली) के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में सेवाएं दी हैं. वे बैंगलोर - 1 और शिमला प्रभागों के प्रभारी थे, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में निगम का संचालन किया और गतिशील बाजार की कठिनाइयों में कारोबार में निरंतर वृद्धि कर अग्रणी रहे. मुख्य (मार्केटिंग-एसबीए) के रूप में, उन्होंने बाजार गतिविधियों में क्रांति और उन्हें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वरिष्ठ कारोबार सहयोगियों और जीवन बीमा निगम सहयोगियों के मार्केटिंग पोर्टफोलियो को भी संभाला.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 2 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशांसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (श्री सत पाल भानू स्वयं एवं उनके संबंधियों को छोड़कर) या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, संबंधित या रुचि रखने वाला हो, वित्तीय या अन्यथा हो, उक्त संकल्प को पारित करने में उनकी मौजूदा शेर्य धारिता यदि कोई हो के अतिरिक्त, बैंक में न हो. श्री सत पाल भानू बैंक के बोर्ड में किसी अन्य केएमपी या निदेशक से संबंधित नहीं है.

मद संख्या 3 :

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 6 फरवरी 2025 के पत्र के संदर्भ में एलआईसी के प्रबंध निदेशक श्री आर. दोराईस्वामी को 19 मई 2025 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में एलआईसी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया था. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के संबंध में श्री आर. दोराईस्वामी (डीआईएन: 10358884) को 19 मई 2025 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में एलआईसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री दोराईस्वामी ने कंपनी अधिनियम 2013, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली और आरबीआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक प्रकटनों के साथ बैंक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है. इसके अतिरिक्त, बैंक में श्री दोराईस्वामी की नियुक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, आरबीआई दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है.

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के साथ पठित अनुच्छेद 116(1) (vii) के अनुपालन में, बोर्ड में श्री दोराईस्वामी एलआईसी नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है.

श्री दोराईस्वामी द्वारा बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क एलआईसी के खाते में तब तक जमा की जाएगी जब तक श्री दोराईस्वामी

LIC Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. with effect from February 10, 2025. Accordingly, Shri Sat Pal Bhanoo (DIN: 10482731) was appointed as LIC Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. February 10, 2025 for a period of three years in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Shri Bhanoo has given his consent to act as Director of the bank along with other relevant disclosures under the Companies Act, 2013, SEBI Listing Regulations and RBI guidelines. Further, Shri Bhanoo's appointment in the Bank is in compliance with the applicable provisions of Banking Regulation Act, 1949, RBI Guidelines, Companies Act, 2013 and SEBI Listing Regulations.

In compliance of Article 116(1) (vii) read with Section 152(6) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint Shri Bhanoo as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board.

The sitting fees for attending the Board/Committee Meetings by Shri Bhanoo will be credited into LIC's account till Shri Bhanoo is serving in LIC and thereafter directly to him. Apart from the sitting fees, no other remuneration would be paid to Shri Bhanoo, except the expenditure upon his travel, stay and transport will be incurred by the Bank.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Sat Pal Bhanoo is provided hereinafter:

Shri Sat Pal Bhanoo holds a Bachelor's Degree in History (Honors) from Himachal Pradesh University, Shimla. He joined LIC as Special Batch Direct Recruit Officer in October, 1988. He has served the Corporation in various roles as Zonal Manager (Central Zone), Additional Director, Zonal Training Centre (Bhopal), Regional Manager (P&IR), North Zone (Delhi). He was In-charge of Bangalore – I and Shimla Divisions steering the Corporation through a challenging climate and leading to consistent growth of business under dynamic market conditions. As Chief (Marketing-SBA), he looked after the Marketing portfolio of Senior Business Associates & Life Insurance Corporation Associates as well, with a focus on revolutionizing marketing activities and empowering them.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.2 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Sat Pal Bhanoo himself and his relatives) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Bhanoo is not related to any other Director on the Board of the Bank or any KMP of the Bank.

Item No. 3 :

Life Insurance Corporation of India (LIC) had vide letter dated February 6, 2025 nominated Shri R. Doraiswamy, Managing Director of LIC as LIC Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. with effect from May 19, 2025. Accordingly, Shri R. Doraiswamy (DIN: 10358884) was appointed as LIC Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. May 19, 2025 for a period of three years in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Shri Doraiswamy has given his consent to act as Director of the bank along with other relevant disclosures under the Companies Act, 2013, SEBI Listing Regulations and RBI guidelines. Further, Shri Doraiswamy's appointment in the Bank is in compliance with the applicable provisions of Banking Regulation Act, 1949, RBI Guidelines, Companies Act, 2013 and SEBI Listing Regulations.

एलआईसी में कार्यरत रहेंगे, तत्पश्चात प्रत्यक्ष रूप से उनके खाते में जमा किया जाएगा. श्री दोराईस्वामी को बैठक शुल्क के अलावा यात्रा, ठहरने की व्यवस्था और परिवहन पर हुए व्यय को बैंक द्वारा उपगत किया जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रमिक देय नहीं होगा.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

श्री आर. दोराईस्वामी का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री आर. दोराईस्वामी मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से कार्यपालक में स्नातक हैं, भारतीय बीमा संस्थान के अध्येता सदस्य हैं और भारतीय बीमांकक संस्थान के छात्र सदस्य हैं. वे एलआईसी के 17वें बैच के सीधी भर्ती अधिकारी हैं, जिनके पास परिचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में 37 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है. प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, श्री आर. दोराईस्वामी ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है जैसे कि कार्यपालक निदेशक (आईटी/एसडी) और मुख्य (आईटी/एसडी) सीओ, मुंबई में, क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन/सीएलआईए) और क्षेत्रीय प्रबंधक (पी एंड जीएस), एसजेडओ, चेन्नई में, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (प्रभारी) (विपणन), मंडल कार्यालय, कोट्टायम में, विपणन प्रबंधक, मंडल कार्यालय, चेन्नई डीओ-आई, तंजावुर और पुणे में. उन्हें 1999 से 2004 की अवधि के दौरान अनुसंधान सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय बीमा अकादमी में प्रतिनियुक्त किया गया था और उन्होंने सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियमावली, उत्पाद विकास के साथ-साथ बीमा प्रबंधन / चार्टर्ड वित्तीय आयोजना आदि में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सामग्री विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया है. उन्होंने मुख्य (आईटी / एसडी) के रूप में ईएफईपी नेक्स्ट, यूएलआईपी प्रणालियों के केंद्रीकरण, दोहराव प्रक्रियाओं के स्वचालन आदि को प्रारम्भ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 3 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (श्री आर दोराईस्वामी स्वयं एवं उनके संबंधियों को छोड़कर) या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, संबंधित या रुचि रखने वाला हो, वित्तीय या अन्यथा हो, उक्त संकल्प को पारित करने में उनकी मौजूदा शेयर धारिता यदि कोई हो के अतिरिक्त, बैंक में न हो. श्री आर दोराईस्वामी बैंक के बोर्ड में किसी अन्य केएमपी या निदेशक से संबंधित नहीं हैं.

In compliance of Article 116(1) (vii) read with Section 152(6) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint Shri Doraiswamy as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board.

The sitting fees for attending the Board/Committee Meetings by Shri Doraiswamy will be credited into LIC's account till Shri Doraiswamy is serving in LIC and thereafter directly to him. Apart from the sitting fees, no other remuneration would be paid to Shri Doraiswamy, except the expenditure upon his travel, stay and transport will be incurred by the Bank.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri R. Doraiswamy is provided hereinafter:

Shri R. Doraiswamy is a Graduate in Mathematics from Madurai Kamaraj University, Fellow Member of Insurance Institute of India and a student member of Institute of Actuaries of India. He is a Direct Recruit officer of 17th Batch of LIC with more than 37 years of rich and diverse experience in Operations, Marketing, Technology and Academics. Before taking charge as Managing Director, Shri R. Doraiswamy has held various positions like Executive Director (IT/SD) and Chief (IT/SD) at CO, Mumbai, Regional Manager (Mktg / CLIA) and Regional Manager (P&GS) at SZO, Chennai, Sr. Divisional Manager (I/c)(Mktg.), Divisional Office, Kottayam, Marketing Manager of Divisional Office, Chennai DO-I., Thanjavur and Pune. He was deputed to the National Insurance Academy as Research Associate during the period 1999 to 2004 and has worked on various projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development as well as content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management / Chartered Financial Planning etc. He was instrumental in rolling out of eFEAP Next, Centralization of ULIP systems, automation of repetitive processes etc., as Chief (IT/SD).

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.3 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri R. Doraiswamy himself and his relatives) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Doraiswamy is not related to any other Director on the Board of the Bank or any KMP of the Bank.

सूचना के लिए अनुबंध
सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(क) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों-2 के अनुसार विवरण

निदेशक का नाम	श्री राकेश शर्मा	श्री सत पाल भानू	श्री आर दोराईस्वामी
पदनाम	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	एलआईसी नामिती निदेशक	एलआईसी नामिती निदेशक
जन्म तारीख / आयु	02.07.1958 66 वर्ष	10.12.1965 59 वर्ष	29.08.1966 58 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	10 अक्टूबर 2018	10 फरवरी 2025	19 मई 2025
शैक्षणिक योग्यताएं	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक डिग्री	बी.एससी., भारतीय बीमा संस्थान के अध्येता
विशेषज्ञता	लेखा, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, मानव संसाधन, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन और कॉर्पोरेट अभिशासन	मानव संसाधन, कारोबार प्रबंधन, परिचालन, बिक्री एवं विपणन, प्रशासन और कॉर्पोरेट अभिशासन	वित्त, मानव संसाधन, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, परिचालन, बिक्री और विपणन, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन और कॉर्पोरेट अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक््योरिटीज लिमिटेड - गैर-कार्यपालक अध्यक्ष; 2. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड- निदेशक एवं अध्यक्ष; 3. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान - अभिशासी निकाय के अध्यक्ष; 4. भारतीय बैंक संघ- प्रबंध समिति के सदस्य	1. भारतीय जीवन बीमा निगम- प्रबंध निदेशक 2. गोल्डन जुबली फाउंडेशन- ट्रस्टी; 3. राष्ट्रीय बीमा अकादमी- शासी मंडल और अकादमिक परिषद के सदस्य; 4. एलआईसी बांग्लादेश- अध्यक्ष; 5. भारतीय बीमा संस्थान- उपाध्यक्ष और परिषद सदस्य; 6. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड- नामित निदेशक	1. भारतीय जीवन बीमा निगम- प्रबंध निदेशक; 2. एलआईसी एचएफएल केयर होम्स - अध्यक्ष 3. एलआईसी (लंका) लिमिटेड - निदेशक 4. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) - गैर-स्वतंत्र निदेशक 5. राष्ट्रीय बीमा अकादमी - शासी मंडल के सदस्य 6. एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन - ट्रस्टी 7. भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि सं. 1 - ट्रस्टी 8. बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन - अतिरिक्त निदेशक
अन्य संस्थाओं की एसीबी एवं एसआरसी में सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य

सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशक ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो.	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
निदेशक की शेयरधारिता	4,400 शेयर	शून्य	शून्य
निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें	एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 और अनुसूची V में प्रदान की गई अनुसार हैं. बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, प्रबंध निदेशक और सीईओ को कंपनी के संपूर्ण मामलों का प्रबंधन सौंपा जाएगा, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे.	गैर-कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों में प्रदान की गई अनुसार हैं.	गैर-पालक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों में प्रदान की गई अनुसार हैं.
पारिश्रमिक	एमडी एवं सीईओ को देय पारिश्रमिक एनआरसी एवं बोर्ड द्वारा अनुशंसित तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित अनुसार होगा.	श्री भानू द्वारा बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क. इसके अतिरिक्त श्री भानू बैठकों में भाग लेने के लिए उनकी यात्रा, ठहरने की व्यवस्था और परिवहन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे.	श्री दोराईस्वामी द्वारा बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क. इसके अतिरिक्त श्री दोराईस्वामी बैठकों में भाग लेने के लिए उनकी यात्रा, ठहरने की व्यवस्था और परिवहन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे.
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए औचित्य और इस भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने की पद्धति जिन्हें प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक पूरा करते हैं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आज की तारीख तक सहभागिता की गई बोर्ड बैठकों की संख्या (आयोजित/ जिनमें सहभागिता की गई)	(13/13)	(02/02)	लागू नहीं

Annexure to the notice
Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and
Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	<u>Shri Rakesh Sharma</u>	<u>Shri Sat Pal Bhanoo</u>	<u>Shri R. Doraiswamy</u>
Designation	Managing Director and Chief Executive Officer	LIC Nominee Director	LIC Nominee Director
Date of Birth	02.07.1958	10.12.1965	29.08.1966
Age	66 years	59 years	58 years
Date of first appointment	October 10, 2018	February 10, 2025	May 19, 2025
Qualification	Post Graduate in Economics, CAIIB	Bachelor's degree in History (Honors)	B.Sc., Fellow of the Insurance Institute of India
Expertise	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small Scale Industry, HR, Business Management, Administration and Corporate Governance	HR, Business Management, Operations, Sales & Marketing, Administration and Corporate Governance	Finance, HR, Agriculture & Rural Economy, Law, Information Technology, Operations, Sales & Marketing, Business Management, Administration and Corporate Governance
Directorship in other entities	<ol style="list-style-type: none"> 1. IDBI Capital Markets & Securities Limited – Non-Executive Chairman; 2. IDBI Intech Limited- Director & Chairman; 3. Entrepreneurship Development Institute of India – President of the Governing Body; 4. Indian Bank's Association – Member of the Managing Committee 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Life Insurance Corporation of India- Managing Director; 2. Golden Jubilee Foundation- Trustee; 3. National Insurance Academy- Member of Governing Board & Academic Council; 4. LIC Bangladesh- Chairman; 5. Insurance Institute of India- Deputy President and Council Member; 6. Mahindra & Mahindra Limited- Nominee Director 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Life Insurance Corporation of India- Managing Director; 2. LIC HFL Care Homes - Chairperson 3. LIC (Lanka) Limited - Director 4. National Commodity & Derivatives Exchange Limited (NCDEX) - Non-Independent Director 5. National Insurance Academy - Member of Governing Body 6. LIC Golden Jubilee Foundation - Trustee 7. LIC of India Provident Fund No.1 - Trustee 8. Bima Sugam India Federation – Additional Director

Membership / Chairmanship in ACB & SRC of other entities	Nil	Nil	Nil
Names of listed Entities from which the Director has resigned in last 3 years, if any	None	None	None
Shareholding of Director	4,400 shares	Nil	Nil
Relationship between directors inter-se	Nil	Nil	Nil
Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	<p>Terms and conditions for Appointment/Re-appointment of MD & CEO are as provided in Section 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013.</p> <p>As per the Articles of Association of the Bank, the Managing Director & CEO shall be entrusted with the management of the whole of the affairs of the Company, who shall not be liable to retire by rotation.</p>	<p>Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.</p>	<p>Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.</p>
Remuneration	<p>Remuneration payable to MD & CEO would be as recommended by the NRC & Board and approved by the RBI for each Financial year.</p>	<p>Sitting fees for attending the Board/Committee Meetings. Further, Shri Bhanoo shall be entitled for reimbursement of expenditure upon his travel, stay and transport for attending meetings.</p>	<p>Sitting fees for attending the Board/Committee Meetings. Further, Shri Doraiswamy shall be entitled for reimbursement of expenditure upon his travel, stay and transport for attending meetings.</p>
Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Number of Board meetings attended till date of FY 2024-25 (Held/Attended)	(13/13)	(02/02)	Not Applicable